न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 202 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 323

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.पुखराज पुत्र चिमाराम 2.लालाराम पुत्र चिमाराम 3.चौखाराम पुत्र देवाराम 4.हुक्माराम पुत्र देवाराम 5.जूंजाराम पुत्र देवाराम 6.रेखादेवी पत्नि देवाराम जाति जाट निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.कोसलाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.चम्पालाल पुत्र पुनमाराम जाति भील निवसी भांडियावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

1. श्री पुनमाराम चौधरी ,अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 18.3.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भांडियावास पटवार हल्का मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 966/391 व 968/391 कुल क्षेत्रफल 4.1197 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण [illegible] रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु [illegible] समय [illegible] की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी [illegible] लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भांडियावास [illegible] हल्का मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 966/391 व 968/391 कुल क्षेत्रफल 4.1197 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भांडियावास पटवार हल्का मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 966/391 व 968/391 कुल क्षेत्रफल 4.1197 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भांडियावास पटवार हल्का मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 966/391 व 968/391 कुल क्षेत्रफल 4.1197 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश किए जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम भांडियावास पटवार हल्का मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 966/391 व 968/391 कुल क्षेत्रफल 4.1197 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड सहखातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकें प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होतें है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की [illegible] तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवाद का [illegible] न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.1.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है,ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। वकील प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भांडियावास पटवार हल्का मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 966/391 व 968/391 कुल क्षेत्रफल 4.1197 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18.3.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:10:10 IST
Reason: SelfAttested